डा0 के0के0पाल
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, उत्तराखण्ड तकनीकी
विश्वविद्यालय, देहरादून।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 2801 / जी0एस0 / शिक्षा / B4-3 / 2017
दिनांक 30 अक्टूबर, 2017

आदेश

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा–9(6) के अन्तर्गत कुलपति प्रो0 प्रदीप कुमार गर्ग के विरूद्ध जाँच कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त अधिनियम की धारा–9(6) के अन्तर्गत प्रो0 गर्ग के विरूद्ध जाँच कार्यवाही विचाराधीन रहने के दृष्टिगत् मैं कुलाधिपति होने के नाते विश्वविद्यालय के हित में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–9(7) के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित करता हूँ:–

(क) प्रो0 प्रदीप कुमार गर्ग अग्रिम आदेश तक कुलपति पद के कार्य संचालन से विरत रहेंगे।

(ख) डा0 यू0एस0रावत, कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, अपने कार्यों के साथ–साथ कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पद का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह0/–

(डा0 के0के0पाल)
राज्यपाल/कुलाधिपति

संख्या 2801 (1)/जी0एस0/शिक्षा/B4-3/2017, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
5. प्रो0 पी0के0गर्ग।
6. डा0 यू0एस0रावत, कुलपति, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय।
7. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. कुलसचिव, श्री देवसुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
9. सम्बन्धित पत्रावली/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
उपसचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति